यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला समाज कल्याण अधिकारी, टिहरी द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी।
कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, टिहरी के माह अक्टूबर 2017 से नवम्बर 2018 तक के लेखा अभिलेखो की जांच श्री श्रवण कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं भानु प्रताप सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 10.12.2018 से 20.12.2018 तक श्री ए. सी. कटियार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में संपादित किया गया।

भाग-1

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अरिंदम चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक एवं श्री दयाशंकर, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 12.10.2017 से 30.10.2017 तक श्री राज बहादुर, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी जिसमें माह 04/2014 से 09/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 10/2017 से 11/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** इकाई द्वारा जनपद के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं समाज के कमजोर वर्ग आदि के उत्थान के लिए विभिन्न पेंशन योजनाओं, छात्रवृत्ति, शादी अनुदान एवं अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास आदि योजनाओं के माध्यम से कार्य किया जाना है। इसका भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण टिहरी जनपद है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत /आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2015-16	-	-	46.45	45.40	1.05	8.24	8.12	0.12
2016-17	-	-	51.79	50.34	1.45	8.97	8.27	0.70
2017-18*	-	-	74.03	73.38	0.65			
2018-19* (up to 11/2018)	-	-	38.92	26.18	-			

**** वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्लान एवं नानप्लान की जगह मतदेय मद में बजट आवंटित होता है।***

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

योजना का नाम	2015-16		2016-17		2017-18	
	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.)	500.89	500.89	642.97	642.97	611.79	611.79
अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति	24.72	24.72	173.23	115.76	191.06	191.00
अनुसूचित जन जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति	44.39	44.39	0.00	0.00	23.30	23.30
अन्य पिछड़ा वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति	44.44	43.71	91.81	5.89	69.84	65.50
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना	22.24	22.24	17.00	17.00	14.20	14.20

(iii) इकाई को बजट आवंटन भारत सरकार एवं निदेशक समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई (अ) श्रेणी की है।
विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-
सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड शासन ⟶ निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड शासन ⟶ जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी।

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। वृद्धावस्था पेंशन, अटल आवास योजना, अनुसूचित जाति दशमोत्तर छातृवृत्ति योजना, शादी विवाह अनुदान एवं अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजनाओं का विश्लेषण किया गया। योजनाओं का चयन किये गए व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (DPC Act, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(अ)

प्रस्तर-1: वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत ₹ 35.09 लाख का परिहार्य व्यय

वृद्धावस्था पेंशन विस्तार एवं प्रक्रिया सरलीकरण के लिए जारी उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या 1547/36-चार 1990 दिनांक 30 मार्च 1990 के बिन्दु-2 के अनुसार ऐसे मामले जहां पति/पत्नी दोनों पेंशन के लिए पात्र है वहाँ नए प्रकरणों में पति-पत्नी में से केवल एक को ही वृद्धावस्था पेंशन अनुमन्य की जायेगी और ऐसे मामलों में महिला सदस्य को प्राथमिकता दी जायेगी। उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 17 जून 2016 के अनुसार भी पति-पत्नी में से केवल एक को ही वृद्धावस्था पेंशन अनुमन्य की जायेगी और ऐसे मामलों में महिला सदस्य को प्राथमिकता दी जायेगी। योजनान्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान अप्रैल 2016 से ₹ 400/- प्रतिमाह, जनवरी 2014 से ₹ 800/- प्रतिमाह तथा जून 2016 से ₹ 1000/- प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाता है।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, टिहरी की वृद्धावस्था पेंशन के अभिलेखों की नमूना जांच में विकास खण्ड जौनपुर एवं भिलंगना के अन्तर्गत BPL-ID के आधार पर स्वीकृत पेंशन अभिलेखों को जांच की गयी। लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि शासनादेश के उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत संलग्न विवरण के अनुसार 75 मामलों (जौनपुर: 58 एवं भिलंगना: 17) में पति-पत्नी दोनों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की गयी थी एवं दोनों को वर्तमान तक पेंशन का भुगतान किया जा रहा था **(सूची संलग्न)** जबकि शासनादेशों के अनुसार पति-पत्नी में से केवल एक को ही वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिये था। इस प्रकार इकाई द्वारा अपात्र लाभार्थी (पति) को पेंशन स्वीकृत किए जाने के कारण उसकी स्वीकृति की तिथि से वर्तमान तक (सितंबर 2018) ₹35.09 लाख (जौनपुर: ₹30.02 लाख एवं भिलंगना: ₹5.07 लाख) का परिहार्य व्यय किया गया था।

उक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के पश्चात इकाई द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि प्रकरण की जांच कर अपात्र लाभार्थियों का वृद्धावस्था पेंशन बन्द करने की कार्यवाही की जायेगी।

अतः वृद्धावस्था पेंशन मद में अपात्र लाभार्थी को पेंशन स्वीकृत किए जाने के कारण ₹35.09 लाख के परिहार्य व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर-1: वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत 12 लाभार्थियों को दोहरा पेंशन का भुगतान।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, टिहरी की वृद्धावस्था पेंशन के अभिलेखों की नमूना जांच में विकास खण्ड भिलंगना एवं जौनपुर के अन्तर्गत BPL-ID के आधार पर स्वीकृत पेंशन अभिलेखों को जांच की गयी। लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि संलग्न विवरण के अनुसार उक्त विकास खंडों के अन्तर्गत क्रमशः 09 एवं 03 मामलों में लाभार्थियों को दोहरा वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान किया जा रहा था जिस कारण शासन को ₹4.63 लाख का वित्तीय भार वहन करना पड़ा।

उक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के पश्चात इकाई द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि प्रकरण की जांच कर संबन्धित लाभार्थियों को किये गये अधिक भुगतान की वसूली से संबन्धित कार्यवाही सुनिश्चित किया जायेगा।

अतः वृद्धावस्था पेंशन मद में दोहरा भुगतान किए जाने के कारण ₹4.63 लाख के परिहार्य व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर-2- विभागीय शिथिलता के कारण वर्ष 2017–18 के कुल पात्र लाभार्थियों को वर्तमान तक योजना का लाभ न मिलना।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 95/XVII-4/2017-01(82)/2014 दिनांक 16 फरवरी 2018 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 से विभगीय दशमोत्तर छात्रवृत्ति का क्रियान्वयन भारत सरकार के पोंटल (http://scholarships.gov.in) के माध्यम से किये जाने के संबंध में आदेश निम्न तालिका के अनुसार निर्गत किये गये थे।

क्रम संख्या	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	निर्धारित अंतिम तिथि
1.	छात्र–छात्रा द्वारा छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु online आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना	15.02.2018
2.	संबंधित शिक्षण संस्था के द्वारा प्राप्त आनलाईन आवेदन पत्रों कों जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित किया जाना।	28.02.2018
3.	संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अस्थायी रूप से निरस्त किये जाने वाले आवेदन पत्रों की तिथि।	15.03.2018
4.	संबंधित छात्र–छात्रा द्वारा पुनः त्रुटि ठीक कर आवेदन पत्र को समाज कल्याण विभाग को प्रेषित करने की तिथि।	15.03.2018
5.	संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों की जॉच जिलाधिकारी द्वारा कराया जाना।	15.03.2018
6.	संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा ई0 बिल तथा पात्र छात्र–छात्राओं की सूची संबंधित कोषाधिकारी को उपलब्ध कराया जाना।	25.03.2018
7.	संबंधित कोषाधिकारी द्वारा पात्र छात्रों के सीबीएस खातों में छात्रवृत्ति/शुल्क का स्थानान्तरण किया जाना।	31.03.2018

उक्त आदेश के क्रम में कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी टिहरी के दशमोत्तर छात्रवृति संबंधित पत्रावलियों की जॉच में पाया गया कि वर्ष 2017–18 हेतु कुल 2835 छात्रों द्वारा पंजीकरण किया गया। उक्त छात्रों को यह धनराशि 31 मार्च 2018 तक उक्त आदेश के क्रम में आबंटित कर दी जानी चाहिए थी लेकिन वर्तमान (12/2018) तक कुल पंजीकृत छात्रों के सत्यापन का कार्य ही पूर्ण नही हो पाया था।

उक्त के संबंध में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा लेखा परीक्षा मत की पुष्टि करते हुए अवगत कराया गया कि छात्रों के आवेदन पत्रों का कार्य गतिमान है। सत्यापन के उपरान्त ही संबंधित छात्रों को छात्रवृति वितरित की जायेगी। उत्तर मान्य नही था क्योंकि उक्त शासनादेश के अनुसार छात्रों को मार्च 2018 तक छात्रवृति प्रदान कर दिया जाना चाहिए था।

अतः वर्ष 2017–18 के 2835 छात्रों को छात्रवृति न वितरित किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग दो (ब)</u>

प्रस्तर-3- ₹ 1224.19 लाख शासकीय धनराशि को अनियमित रूप से बैंक खातों में रखे जाने के संबंध में ।

उत्तराखंड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-132/xxxvii(14)/2012/दिनांक-16.10.12 में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि सभी ज़िला अधिकारी सुसंगत लेखाशीर्षक के अधीन कोषागार में वैयक्तिक खाता (पी.एल.ए.) यदि पूर्व में न खुला हो तो एक सप्ताह में खुलवाना सुनिश्चित करें तथा समेकित निधि से आहरित सभी धनराशियाँ, जो बैंक में रखी गईं हों अथवा सावधि जमा में रखी गईं हों, को तत्काल कोषागार के विभागीय पी.एल.ए. में जमा करा दिया जाए। पी.एल.ए. से तत्काल आवश्यकता की धनराशि ही आहरित की जाये एवं बैंक में ऐसी धनराशियाँ सामान्य जमा अथवा सावधि जमा में जमा न की जाएँ।

जबकि कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, नई टिहरी, के लेखा अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि कार्यालय स्तर पर चार बैंकों में खाते संचालित किए जा रहे थे एवं जिनमें लेखा परीक्षा तिथि (माह नवंबर-2018) पर समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं से संबन्धित ₹ 1224.19 लाख की शासकीय धनराशि अनियमित रूप से निम्नानुसार जमा थी:

(धनराशि लाख में)

क्रमांक	**बैंक का नाम**	**योजना का नाम**	**खाता संख्या**	**जमा धनराशि**
1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नरेन्द्रनगर	वृद्धावस्था पेंशन	35581218596	527.36
2	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नरेन्द्रनगर	विकलांग पेंशन	35581061722	129.49
3	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नरेन्द्रनगर	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	35581200338	395.20
4	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नरेन्द्रनगर	अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास एवं अन्य योजनाएँ	10803644280	172.14
योग				**1224.19**

उक्त विसंगति के संबंध में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि वर्तमान तक कोषागार में वैयक्तिक खाता नहीं खोला गया है परंतु लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इस संबंध में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई स्तर पर उपरोक्त शासनादेश की पूर्णरूपेण अनदेखी करते हुए विभिन्न योजनाओं से संबन्धित ₹ 1224.19 लाख की शासकीय धनराशि अनियमित रूप से बैंक खातों में रखी गई है।

अतः विभिन्न योजनाओं से संबन्धित ₹ 1224.19 लाख की शासकीय धनराशि अनियमित रूप से बैंक खातों में रखे जाने संबंधी प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर-4- वर्ष 2014-15 में स्वीकृत निर्माण कार्यों के सापेक्ष 14 निर्माण कार्य वर्तमान तक अपूर्ण रहने के कारण ₹ 62.93 लाख की धनराशि का अवरोधन।

कार्यालय ज़िला समाज कल्याण अधिकारी, नई टिहरी के अंतर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना से संबन्धित अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2014-15 में स्वीकृत 66 निर्माण कार्यों के सापेक्ष 14 निर्माण कार्य जो उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किए जाने थे, तीन वर्ष की अवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अपूर्ण थे तथा उक्त अपूर्ण निर्माण कार्यों की अवशेष धनराशि ₹ 62.93 लाख संप्रेक्षा तिथि (दिसंबर-2018) तक कार्यालय स्तर पर बैंक खाते में अवरुद्ध रखी गई थी।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किए जाने कि उक्त अपूर्ण निर्माण जो उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराये जाने पर ज़िला समाज कल्याण अधिकारी, नई टिहरी द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि उक्त अपूर्ण निर्माण कार्य शीघ्र ही पूर्ण कराये जाने हेतु संबन्धित कार्यदायी संस्थाओं एवं सहायक समाज कल्याण अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शासनादेश के अनुसार जो निर्माण कार्य एक वर्ष की अवधि में पूर्ण हो जाने चाहिए थे वे निर्माण कार्य तीन वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अपूर्ण हैं साथ ही उक्त अपूर्ण निर्माण कार्यों से संबन्धित अवशेष धनराशि ₹ 62.93 लाख इकाई स्तर पर बैंक खाते में तीन वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अवरुद्ध रखी गई है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर:5- बीएड के 02 छात्रों को निर्धारित छात्रवृति से रुपये 20000/- की अधिक छात्रवृति प्रदान किया जाना

अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं में छात्रवृति दरों (विवरण संलग्न) एवं मानकों के आधार पर दी जाती है जो कि दिनांक 01 जुलाई 2010 से प्रभावी है। दशमोत्तर कक्षाओ में अध्ययनरत छात्र /छात्राओं को बिभिन्न पाठ्यक्रमों में उपरोक्त दरों से छात्रवृति प्रदान की जाती है उनको छात्रवृति के अतिरिक्त शिक्षण/ प्रशिक्षण संस्थान द्वार संबन्धित कोर्स हेतु शासन / विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्कों का भुगतान अनावर्तीय सहायता के रूप में विभाग द्वारा किया जाता है। इस प्रकार सभी व्यावसायिक प्रशिक्षणों यथा मेडिकल, इंजीनियरिग, प्रबंधन, बी एड इत्यादि कोर्सेज में छात्रों को शिक्षण संस्थान को अदा किए जाने वाले शुल्क की प्रतिपूर्ति जो शासन द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप होगी, के अतिरिक्त उक्तानुसार उल्लिखित छात्रवृतियाँ अनुमान्य है।

शासन द्वारा छात्रवृति स्वीकृति एवं भुगतान हेतु निम्नानुसार वरीयता क्रम निर्धारित किया गया है।

1. सर्वप्रथम छात्रवृति की धनराशि का भुगतान शासकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत छत्रों को किया जाएगा ।
2. उक्त के उपरांत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृति की धनराशि का भुगतान किया जाएगा।
3. उसके उपरांत जिन छात्रों का प्रवेश काऊसिलिंग के माध्यम से हुआ हो उन छात्रों को छात्रवृति का भुगतान किया जाएगा।
4. अशासकीय विद्यालयों के छात्रों तथा व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत ऐसे छात्र जिनका प्रवेश मैनेजमेंट कोटे के अंतर्गत हुआ हो, ऐसे छात्रों को धन की उपलब्धता के आधार पर निर्धंतम छात्र से प्रारम्भ करते हुए अवरोही क्रम में छात्रवृति का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
5. छात्रवृति/ फीस प्रतिपूर्ति का सर्वप्रथम उत्तराखंड राज्य में अध्ययनरत पात्र छत्र को किया जाएगा तदोपरांत धनराशि की उपलब्धता के आधार पर उत्तराखंड राज्य से बाहर अन्य प्रदेशों में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृति का भुगतान सुनूश्चित किया जाएगा।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी टिहरी के अन्य पिछड़ी जाति की छात्रवृति से संबन्धित अभिलेखो की जांच में पाया गया कि वर्ष 2016-17 में उत्तराखण्ड माडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी ढलवाला ऋषिकेश के 02 बी एड के छात्रों (सूची संलग्न)को (छात्रवृति+ शिक्षण शुल्क) कुल रुपये 47100 (42000+5100) की दर से छात्रवृति दी जानी थी जबकि इन्ही छात्रों को रुपये 57100/-(52000+5100) प्रति छात्र प्रदान की गयी थी जो वास्तविक छात्रवृति से रुपये 10000/- अधिक थी जो दो छात्रोंको मिला कर कुल 20000/- का अधिक भुगतान किया गया था , जो अनियमित था । विवरण निम्न है ।

क्रम संख्या	**छात्र का नाम**	**इंस्टीट्यूट का नाम**	**कटेगरी**	**प्रदान की जाने वाली धनराशि (42000+5100)= 47100**	**प्रदान की गई धनराशि (52000+510 0)=57100**	**अधिक प्रदान की गई धनराशि**	**खाता संख्या**
1-	Kalyani Yadav	Uttarakhand--Modern Institute Of Technology,Dhalwala,Rishikesh	OBC	47100	57100	10000	02251000012776
2-	Ramjee Yadav	Uttarakhand--Modern Institute Of Technology,Dhalwala,Rishikesh	OBC	47100	57100	10000	33254316443
कुल						20000	

उक्त के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा लेखा मत की पुष्टि कराते हुए अवगत कराया कि उच्चाधिकारियों से निर्देश प्राप्त कर वसूली की कार्यवाही की जाएगी।

अतः बी.एड. के 02 छात्रों को निर्धारित छात्रवृति से रु.20000/- की अधिक छात्रवृति प्रदान किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर:6 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 50 प्रतिशत पद रिक्त रहना।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, टिहरी की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि कार्यालय अंतर्गत स्वीकृत 19 पदों के सापेक्ष 10 पद (जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के एक-एक पद, प्रधान सहायक के दो पद, कनिष्ठ सहायक का एक पद तथा सहायक समाज कल्याण अधिकारियों के पाँच पद) रिक्त थे जिस कारण विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में कठिनाई का सामना कारण पड़ रहा था।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि कार्मिकों की कमी एवं कार्य की अधिकता के कारण ही कार्यालय स्तर पर लाभार्थियों को दोहरा भुगतान, अधिक भुगतान एवं विलम्ब से भुगतान के प्रकरण परिलक्षित हो रहे है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत लेखापरीक्षा के अनिस्तारित पस्तरों का विवरण निम्नवत है:

प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो (अ) प्रस्तर	भाग-दो (ब) प्रस्तर	प्रतिपूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
01/2009-10	01	01, 02	
2011-12	-	01, 02	
2012-13	01	01, 02, 03	
114/2017-18	-	01 से 11	01

विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल टिप्पणी	अभ्युक्ति
उपरोक्त वर्णित अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में इकाई द्वारा बताया गया कि अनुपालन आख्या शीघ्र ही तैयार कर उचित माध्यम से कार्यालय प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित की जायेगी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....शून्य.....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी, टिहरी तथा उनके कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **सतत् अनियमितताएः** शून्य
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम संख्या	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	श्री अविनाश सिंह भदौरिया	जिला समाज कल्याण अधिकारी	01.12.2017 से 28.06.2018
2.	श्री ए.के.सैनी	जिला समाज कल्याण अधिकारी	29.06.2018 से 04.11.2018
3.	श्री अविनाश सिंह भदौरिया	जिला समाज कल्याण अधिकारी	05.11.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला समाज कल्याण अधिकारी, टिहरी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप महालेखाकार (सामाजकि क्षेत्र) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकर भवन, कौलगढ़, देहरादून** को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र